



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 18—जून 24, 2011 (ज्येष्ठ 28, 1933)

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 18—JUNE 24, 2011 (JYAISTHA 28, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by  
Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 6 जून 2011

सं. रा.आ. बैंक.एच.एफ.सी. विनि.-4/सीएमडी/2011--राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धारा 29ए की उप-धारा (1) की धारा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक एक आवास वित्त संस्थान के लिये जो कि एक कम्पनी है, और जो राजकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से या उसके बाद आवास वित्त संस्थान का कारोबार शुरू करता है, के लिये 10 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि एतद्वारा निर्धारित करता है :--

किन्तु उच्च निवल स्वाधिकृत निधि संबंधी विनिर्देश उस कम्पनी पर लागू नहीं होंगे जिसका पंजीकरण के लिये आवेदन पत्र कथोक्त अधिनियम की धारा 29ए के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक के समक्ष राजकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले प्रस्तुत किया गया है।

आर. वी. वर्मा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

**NATIONAL HOUSING BANK**  
New Delhi, the 6th June, 2011

**No. NHB.HFC.REG-4/CMD/2011.** In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 29A of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) the National Housing Bank, hereby specifies the minimum net owned fund to be ten crore of rupees for a housing finance institution which is a company which commences the business of a housing finance institution on or after the date of publication of this notification in the Official Gazette:

Provided that the specification of higher net owned fund shall not be applicable to a company whose application for certificate of registration under section 29A of the said Act is submitted to the National Housing Bank before the date of publication of this notification in the Official Gazette.

R. V. VERMA  
Chairman and Managing Director

---